सेना चित्र प्रभाग

1. सेना चित्र प्रभाग रक्षा मंत्रालय का एक अंतर सेवा संगठन है, जिसका गठन जुलाई 1954 में किया गया । यह तीनों सेवाओं के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री निर्माण का उत्तरदायित्व वहन करता है । सेना चित्र प्रभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय के समारोहों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की छायाचित्र तथा विडियो कवरेज भी अभिलेखन प्रयोजन से की जाती है । सेना चित्र प्रभाग, इसके केंद्रीय रक्षा फिल्मालय में द्वितीय विश्व युद्ध की दुर्लभ फिल्मों व छायाचित्रों तथा वर्तमान एवं विगत रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों का समृद्ध संग्रह रखता है ।

2. सेना चित्र प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट, शहीद दिवस, सेना परेड, स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह, अलंकरण समारोह, रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पदक, हिन्दी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, योग दिवस, दरबार व कमांडर सम्मेलन, सशस्त्र सेना मुख्यालय दिवस इत्यादि की विडियो कवरेज तथा स्थिर छायाचित्र कवरेज की जाती है । यह गणतंत्र दिवस परेड की झाँकी के चुनाव के लिए विशेषज्ञ समिति को भी सहायता प्रदान करता है ।

3. सेना चित्र प्रभाग, सेना प्रशिक्षण मुख्यालय **(ARTRAC)** को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण फिल्में तथा छायाचित्र उपलब्ध करवाकर भारतीय सेना इतिहास के डिजिटल संग्रहण में योगदान दे रहा है । सेना चित्र प्रभाग ने वर्ष 1994 में व्यवसायिक ब्रॉडकास्ट बीटा उपकरणों के साथ विडियो बनाना शुरू किया । वर्तमान में फिल्मों का निर्माण हाई डेफिनिशन विडियो प्रारूप में किया जाता है । वर्तमान में छायाचित्रण नेगेटिव से डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित हो गया है और अब सभी छायाचित्र डिजिटल रूप में बनाये व आवश्यकतानुसार सीडी/डीवीडी प्रारूप तथा हार्ड कॉपी(फोटो प्रिन्ट) में जारी किये जाते हैं ।

4. इस प्रभाग के अंतर्गत केंद्रीय रक्षा फिल्म लाईब्रेरी(CDFL), विभिन्न इकाईयों/संरचनाओं/प्रशिक्षण संस्थानों/कमांडों को उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण फिल्मों के वितरण के लिए उत्तरदायी है । इसमें 540(35एम एम) फिल्मों के शीर्षक, 226 वीएचएस प्रारूप की फिल्मों के शीर्षक, 277 यू मेटिक प्रारूप की फिल्मों के शीर्षक, 172 बीटाकैम प्रारूप के, 52 वीसीडी प्रारूप के शीर्षक, तथा 125 डीवीडी प्रारूप की फिल्मों के शीर्षक विद्यमान हैं । केंद्रीय रक्षा फिल्मालय में द्वितीय विश्व युद्ध के 26901 छायाचित्रों तथा 26901 नेगेटिव का रख-रखाव तथा संरक्षण किया गया है । ये छायाचित्र और फिल्में द्वितीय विश्व युद्ध में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सैन्य कार्रवाई, उनकी परेड, उत्सवों एवं प्रशिक्षण गतिविधियों इत्यादि का चित्रण करती है । कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जैसे बैटल ऑफ ब्रिटेन, बैटल ऑफ रसिया, बैटल ऑफ चाइना, डेजर्ट विक्ट्री, जैपनिज सरैन्डर, नाजिस् स्ट्राइक, बर्मा केम्पैन, चर्चिल द मैन, लंदन विक्ट्री परेड इत्यादि साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्में संरक्षित की गई हैं । द्वितीय विश्व युद्ध की इन फिल्मों में से कई फिल्मों की प्रतियाँ राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (NFAI), पुणे में भी संरक्षित की गई हैं ।

5. सेना चित्र प्रभाग फिल्म निर्माण / कला में दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता रहा है ।

6. सेना चित्र प्रभाग पर कार्यात्मक नियंत्रण संयुक्त सचिव (सेना) का है तथा समस्त प्रशासनिक मामले संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ, जो इसके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी हैं, के नियंत्रण में है ।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) बी(ii) के अनुसार

1. इस प्रभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी	शक्तियाँ/कर्तव्य
1.	निदेशक, सेना चित्र प्रभाग	सेना चित्र प्रभाग द्वारा निर्मित प्रशिक्षण फिल्मों के उत्पादन का पर्यवेक्षण करना। ARTRAC,शिमला के सहयोग से फिल्म चयन समिति की बैठक आयोजित करना, समस्त उत्पादन कार्यक्रमों की योजना एवं निष्पादन में सामान्य पर्यवेक्षण तथा फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं व शाखाओं पर रचनात्मक मार्गदर्शन। तस्वीरों, स्लाइड, कला कार्य इत्यादि के उत्पादन से संबंधित तकनीकी कार्य का पर्यवेक्षण तथा प्रभागीय प्रशासन। आप आरटीआई के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी भी हैं।
	उप निदेशक, सेना चित्र प्रभाग	प्रभाग के दिन-प्रतिदिन के कामकाज व प्रशासन में निदेशक की सहायता करना। पटकथा, फिल्मांकन, संपादन आदि द्वारा प्रस्ताव चरण से लेकर फिल्मों के पूरा होने तथा प्रशिक्षण फिल्मों का निर्माण एवं प्रिंट तैयार करना व उनका वितरण करना ।
	सहायक निदेशक, सेना चित्र प्रभाग	निदेशक/उपनिदेशक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना। फिल्म पटकथा का लेखन एवं जाँच, फिल्म का निर्देशन तथा निदेशक/उपनिदेशक की देखरेख में उनका निष्पादन करना। प्रभारी अनुभाग, फोटो संपादन, ध्वनि, प्रक्षेपण आदि के कामकाज की निगरानी करना। आप आरटीआई के लिए मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी भी हैं।
	अनुभाग अधिकारी, सेना चित्र प्रभाग	प्रभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना तथा प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करना एवं आरटीआई के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना ।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) बी(iii) के अनुसार

2. निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

क्र. सं.	बिंदु/विषय	विवरण/सूचना
1.	निर्णय लेने की प्रक्रिया	निदेशक द्वारा किसी विषय पर प्रासंगिक/मौजूदा नियमों/विनियमों को ध्यान में रखते हुए उपनिदेशक व सहायक निदेशकों के परामर्श से रक्षा मंत्रालय/भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं।
2.	अंतिम निर्णय लेने का अधिकार	मामले के आधार पर निदेशक/रक्षा मंत्रालय
3.	संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम इत्यादि	केंद्र सरकार के नियम व अधिनियम
4.	निर्णय लेने के लिए समय-सीमा, यदि हो	मामले के आधार पर
5.	पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल	अनुभाग अधिकारी ⇒ सहायक निदेशक ⇒ उप निदेशक ⇒ निदेशक ⇒ रक्षा मंत्रालय

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) बी(v) के अनुसार

3. कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, अधिनियम, अनुदेश पुस्तिका और रिकॉर्ड

क्र. सं.	बिंदु/नियम	विवरण/सूचना
1.	अधिनियम/नियम पुस्तिका आदि	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालयों पर लागू नियम/अधिनियम
2.	स्थानांतरण नीति व स्थानांतरण आदेश	स्थानांतरण नीति संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ कार्यालय के अनुसार (इसके लिए कृपया www.caomod.nic.in का संदर्भ लें।)

<u>आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) बी(vii) के अनुसार</u>

4. <u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

(क) सेना चित्र प्रभाग किस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?

सेना चित्र प्रभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक अंतर सेवा संगठन है।

(ख) मैं सेना चित्र प्रभाग, रक्षा मंत्रालय से कैसे संपर्क कर सकता हूँ?

सेना चित्र प्रभाग से वेबसाइट में उल्लिखित टेलीफोन नं./ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

(ग) सेना चित्र प्रभाग द्वारा किस तरह की फिल्मों का निर्माण किया जाता है?

सेना चित्र प्रभाग तीनों सेवाओं(सेना, नौसेना और वायु सेना) के लिए प्रशिक्षण से संबंधित फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री (वृतचित्रों), प्रचार फिल्मों व प्रेरक फिल्मों का निर्माण करता है।

(घ) सेना चित्र प्रभाग द्वारा किस तरह की तस्वीरें संरक्षित की जाती हैं?

सेना चित्र प्रभाग रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी समारोहों की तस्वीरों को संरक्षित करता है।